नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत अमरोहा के स्वामित्वाधीन निम्नलिखित प्राईमरी पाठशाला/जूनियर हाईस्कूलों से सम्बद्ध कृषि योग्य भूमियों/फर्मों को कृषि कार्य हेतु आगामी दो वर्ष के लिए सार्वजनिक ठेका नीलाम दिनांक 09.05.2018 को मध्यान्ह 12:00 बजे से कार्यालय जिला पंचायत अमरोहा में किया जायेगा। प्रत्येक बोलीदाता को नीलाम से पूर्व निम्न विवरणानुसार अग्रिम जमानत जमा करना अनिवार्य होगा। उच्चतम बोलीदाता की बोली यदि उपयुक्त पायी जाती है तो बोली की समस्त धनराशि तत्काल जमा करनी होगी। ठेके का अनुबन्ध पत्र निर्धारित स्टाम्प पेपर पर स्वयं करना होगा। अन्य शर्तें कार्यदिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं। भूमि नीलामी का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	भूमि का विवरण	विकास खण्ड	जमानत राशि
1	प्राईमरी पाठशाला धकतौडा	जोया	**10,000.00**
2	प्राईमरी पाठशाला बागडपुर कलां	अमरोहा	**5,000.00**
3	प्राईमरी पाठशाला ओरंगाबाद	जोया	**35,000.00**
4	प्राईमरी पाठशाला अटेरना	जोया	**5,000.00**
5	प्राईमरी पाठशाला मोहम्मदाबाद	गजरौला	**5,000.00**

उपरोक्त तिथि को नीलाम न होने की दशा में पुनः सार्वजनिक नीलाम प्रत्येक बुद्वार को निर्धारित समय व स्थान पर किया जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अमरोहा।

कार्यालय जिला पंचायत अमरोहा।

पत्रांक : 93 /सम्पत्ति/2018 **दिनांक: 21-4-2018**

सम्पादक,

1– दैनिक जागरण
2– हिन्दुस्तान
अमरोहा।

....

कृपया उपरोक्त सूचना अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान एवं लघुतम अक्षरों में शासकीय दर पर (पाँच हजार रूपय की सीमा के अन्दर) एक बार प्रकाशित कर भुगतान हेतु बिल में अंकित दरें सूचना अधिकारी से प्रमाणित कराकर समाचार पत्र की प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अमरोहा।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः
1– मा0 अध्यक्ष महोदया जिला पंचायत की सेवा में सादर सुचनार्थ।
2– पुलिस अधीक्षक महोदय की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि सुरक्षा व्यवस्था हेतु तद्दिनांक को जिला पंचायत कार्यालय में पुलिस बल की व्यवस्था करने का कष्ट करें।
3– अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता, सदस्य नीलाम समिति जिला पंचायत अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि वह तद्दिनांक व समय पर उपस्थित रहकर नीलामी की कार्यवाही सम्पादित करायें।
4– प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0 को इस आशय से कि जनपद की वेवसाईट पर उक्त सूचना अपलोड कराने का कष्ट करें।
5– क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/कर निरीक्षक जिला पंचायत अमरोहा को इस आदेश के साथ कि वह मौके पर जाकर निश्चित नीलामी की मुनादी कराते हुये प्रचार–प्रसार करायें।
6– समस्त पुराने ठेकेदारों को सूचनार्थ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अमरोहा।